

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 92/2025

दायरी दिनांक 05.11.2024

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रह्मण निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

आवेदकगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैंड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू
(राज.)- अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू- राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

निर्णय दिनांक :- 22.05.2025

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 221 के वर्तमान खसरा नम्बर 1178/611 रकबा 5.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 610 रकबा 998/438 रकबा 0.86 हैक्टर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 6.788 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की धारा में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों की गलती व भूल से प्रार्थी का नाम लक्ष्मणप्रसाद पुत्र बजरंगलाल की जगह लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के का सही नाम लक्ष्मणप्रसाद पुत्र बजरंगलाल है इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर केसीसी लोन लेने के लिए दिनांक 22/10/2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। वाद कारण दिनांक 22/10/2024 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरुस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 221 के वर्तमान खसरा नम्बर 1178/611 रकबा 5.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 610 रकबा 998/438 रकबा 0.86 हैक्टर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 6.788 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगलाल की जगह सही नाम लक्ष्मणप्रसाद पुत्र बजरंगलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6/3

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावा


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम ~~हेतमसर~~के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता न: 221 में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगलाल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लक्ष्मणप्रसाद किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम ~~हेतमसर~~ के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 221 में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगलाल दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात् एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम लक्ष्मणप्रसाद पुत्र बजरंगलाल है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम हेतमसर के खाता संख्या 221 में दर्ज प्रार्थी नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर लक्ष्मणप्रसाद पुत्र बजरंगलाल कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुनिश कुमारी)
उपमुख्य अधिकारी,
मण्डावा